फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गोवर्धनसिंह | विपक्षी : श्री नारसिंह

किस्म मुकदमा – 53,188 रा.का. अधिनियम | पत्रावली संख्या : 51/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 27.06.2024	

पत्रांवली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार कर हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा किया जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री गोवर्धनसिंह का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 पेश किये। वाद वर्णित आराजीयात सामलाती होकर वादी एवं प्रतिवादी के नाम दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर वादी के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया, इससे भी वादी के वाद को बल मिलता हैं। वादग्रस्त भूमि सामलाती होने से वादी को अपने हिस्से की भूमि का विकास करने में कठिनाई आ रही हैं। भूमि सामलाती होने से एवं वादी सहमत होने से हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

अतः वाद वादी स्वीकार कर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता हैं कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 405 पर दर्ज आराजी नम्बर 117 किता 1 रकबा 0.3723 हेक्टेयर भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य कानूनी रूप से हिस्से एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव में जमाबन्दी में अंकित खातेदारों के नाम ही अंकित किये जावें। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भूमिधारी तहसीलदार मावली को 1000/– रूपये के शुल्क पर बंटवाड़ा कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्तावित करने से पूर्व सभी पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र मौके पर तलब किया जावे। यथासम्भव सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाड़ा प्रस्तावित किया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया जावे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक 10546 दिनांक 05.10.2020 जारी निर्देशों अनुसार मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की जावे। विभाजन सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस 2–2 प्रतियों में पेश किये जावे। फीस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें। प्रारम्भिक डिक्री पर्चा जारी हो।

पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 08.08.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली, जेला-उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:40 IST
Reason: SelfAttested

(सुख राम झामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

8/8/24

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. P.D. पालना

के लिये मौका चाहते है। अतः एक

अवसर दिया जाकर पत्रावली दि0 24/10/24

को पेश हो।

[signature]

(SDO) मावली

24/10/24 पत्रावली पेश हुई अधि वादी उप.। पी.डी. पालना रिपोर्ट अप्राप्त/वर्दीन्तजार रहे पत्रावली वास्ते पी.डी. पालना रिपोर्ट दिनांक 27/11/24 को पेश हो।

[signature]

27/11/24

पत्रावली पेश ... वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पां उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 3/1/25 को पेश हो

[signature]

03/01/25 पत्रावली पेश हुई अधि. वादी उप.। अधि. वादी द्वारा निवेदन किया की प्रतिवादी की भूमि वादी ही के द्वारा ही क्रय की गई है वादग्रस्त भूमि का खातेदार स्वयं वादी ही हो चुका है इसलिए प्रकरण में बंटवारा नहीं करवाना है पत्रावली को इसी स्तर पर ड्रोप करवाया जावे चूंकि प्रकरण में प्र.सं. 1 में निहित एक हिस्से की भूमि को वादी द्वारा क्रय कर लिया गया। ऐसे में प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है [illegible] जाकर इसी स्तर पर [illegible] खारिज किया जाकर पत्रावली [illegible] हो। सरे इजलास सुनाया गया।

[signature]

सहायक कलक्टर

(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:48:40 IST
Reason: SelfAttested